In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

परमा यादव बनाम बुलाकी यादव वगैरह

T.S–100/2022

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
25.08.2025	वादी की ओर से दिनांक–16.06.2025 को शपथ पत्र के साथ समर्थित एक आवेदन आदेश–22 नियम–4 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि प्रतिवादी संख्या–03 किशोर यादव की मृत्यु दिनांक–28.01.2025 को हो गयी है। अतः किशोर यादव का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाए। साथ हीं शपथ पत्र के साथ धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया है कि विलंब के अवधि को माफ कर उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए एवं प्रतिस्थापन आवेदन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मौखिक रूप से कहा। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–03 किशोर यादव का नाम अभिलेख पर दर्ज है, जिनकी मृत्यु दिनांक–28.01.2025 को हो चुकी है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत नहीं है। मृत प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई अभिलेख पर चल रही है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन विलंब अवधि को माफ करते हुए दिनांक–16.06.2025 अंतर्गत आदेश–22 नियम–4 वो धारा–151 सी0पी0सी0 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या–03 किशोर यादव का नाम अभिलेख से कलमजद करें। वास्ते दिनांक–06.10.2025 सुनवाई हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	